

स्त्रीयों की दशा सुधारने में समाज की भूमिका

डॉ० नीलम गौड, प्राचार्य, व्यापार मण्डल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हनुमानगढ़।

प्रस्तावित शोध की भूमिका

19वीं सदी के आरम्भ तक स्त्रियों की दशा दयनीय थी। कई प्रथायें समाज में स्थान बना चुकी थी। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये समाज व धर्म सुधारकों के द्वारा अनेक कार्य किये गये। धार्मिक व सामाजिक आन्दोलनों के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार ने भी इन कुप्रथाओं पर अनेक अंकुश लगाने के प्रयास किया।

इस काल में स्त्रियों का समाज में गौण स्थान था। वे बाल-विवाह, बहुविवाह, विधवाओं की दुर्दशा, कन्या वध, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि कुप्रथाओं से पीड़ित थी।

समाज सुधारकों के प्रयास

19वीं सदी के लोगों में कुछ जागरूकता आने के कारण समाज एवं धर्म से बुराईयों दूर करने का प्रयत्न किया गया। जिसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया। इस पुनर्जागरण के दो स्त्रोंत थे-

1. भारत में यूरोपीय एवं पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान।
2. प्राचीन काल की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परम्परायें

पश्चिम देशों में वैचारिक आदान प्रदान के फलस्वरूप भारत में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जिसने धर्म और समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये धर्म व समाज द्वारा निम्न प्रयास किये गये-

(अ) ब्रह्म समाज

1824 में सर विलियम वेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विरोधी कानून बनवाया और बाल विवाह तथा बहु विवाह आदि की भर्त्सना की। स्त्री शिक्षा प्रसार पर इन्होंने बहुत जोर दिया।

(ब) आर्य समाज

स्मृतियों के कटु आलोचक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जिसने स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों द्वारा वैदिक रीति से यज्ञ करने का समर्थन किया।

(स) थियोसोफियल सोसायटी

मैडम ब्लोवात्स्की तथा कर्नल आल्कात के प्रयत्नों से 1886 में इसकी स्थापना हुई, जो स्त्रियों में नई जागृति पैदा करने प्रयत्नरत् रही।

(द) रामकृष्ण मिशन

स्वामी केशवानन्द ने स्त्री शिक्षा एवं उनकी स्वतंत्रता पर रामकृष्ण मिशन के द्वारा बल दिया।

(य) प्रार्थना समाज

जस्टिस गोविन्द रानाडे ने विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया।

(र) सर सैयद अहमद खान

1875 में मोहम्मडन एंग्लो इण्डियन कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी बना, इसके द्वारा मुख्यतः मुस्लिम समाज में प्रचलित बाल-विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने भी किसी संस्था की स्थापना के स्त्रियों की स्थिति सुधारने के यथोचित प्रयास किये तथा बहुत संख्या में विद्यालय खोले।

महात्मा गांधी ने भी स्त्रियों को समस्या को समझकर स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के कार्यक्रम को स्वतंत्रता आन्दोलन का एक अंग माना।

प्रस्तावित शोध के सोपान

1. बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1872 में कानून "मैरिज एक्ट" के अन्तर्गत बनाया गया तथा 1929 में "बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम" पारित हुआ।
2. विवाह स्त्री सम्पत्ति संबंधी कानून 1874 में बनाया गया।
3. अंतर्जातीय विवाह एक्ट - 1872 में केशवचन्द्र सेन के प्रयास से बना। अन्य जाति में विवाह को मान्यता प्रदान की गई।
4. सिविल मैरिज एक्ट - जिसमें विवाह आयु लड़के के लिए 18 वर्ष एवं लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गयी।
5. कन्या भ्रूण हत्या - सर्वप्रथम सन् 1845 लार्ड डलहौजी ने इस पर रोक लगाई। परन्तु 1856 सरकारी कानून बनाकर इसका कानूनन अपराध घोषित किया गया।

प्रस्तावित शोध का महत्त्व स्त्री शिक्षा में प्रगति

18वीं शताब्दी तक भारत में स्त्री शिक्षा की दशा अत्यन्त दयनीय थी। पश्चिमी प्रभाव में आने से इसमें कुछ सुधार आने लगा। प्रबद्ध मध्यम वर्ग के उदय से इस दिशा में विचार किया जाने लगा निम्न कदम उठाये गये—

1. **1780:** कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं के लिए मदरसे की स्थापना की गई।
2. **1791:** हिन्दु स्त्रियों के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई।
3. **1800:** सभी वर्ग की महिलाओं के लिये फार्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ईसाई पादरियों ने भी इस दिशा में कार्य किया।
4. **1787:** श्रीमति केम्पबैल द्वारा महिला अनाथाश्रम एवं डा. अदुबैल द्वारा बाल अनाथालय की स्थापना की गई।
5. **1833:** चार्ल्स अनुदान आयोग की सिफारिश पर भारतीय शिक्षा के लिये एक लाख रू. का अनुदान स्वीकृत किया।
6. **1824:** आगरा, कलकता, दिल्ली एवं मुरादाबाद में सरकारी कॉलेज की स्थापना की गई।
7. **1833:** राजा राम मोहनराय ने सम्पूर्ण विकास के लिये पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया। लार्ड मैकाले ने इसे भी स्वीकारा। ईसाई पादरियों ने भी गई प्रारम्भिक विद्यालय खोले एवं जिन्हें सरकारी सहायता भी प्रदान की गई।
8. **1854:** चार्ल्स वुड डिस्पैच द्वारा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया।
9. **1882:** स्त्री शिक्षा बढ़ाने हेतु कमीशन की स्थापना की गई। इन्होंने शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं सरकारी वजीफे आदि की दिशा में प्रयत्न किये। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व छात्रावास की व्यवस्था की गई। पर्दे में रहने वाली स्त्रियों के लिये घर पर शिक्षा का प्रबंध किया गया। विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की गई।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में स्त्रियों में राजनैतिक जागरूकता आने लगी। डा. रोमिला थॉपर के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन भारतीय स्त्रियों में बदलाव का मुख्य श्रोत था। स्त्रियों में राजनैतिक जागरूकता 1857 से प्रारम्भ हुई और 1885 में क्रांगेस की स्थापना से यह जन-जन तक पहुँची। प्रारम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य समाज सुधार था, परन्तु धीरे-धीरे यह एक राजनीतिक आन्दोलन बन गया।

गांधीजी ने भी स्त्रियों को राजनीति में सक्रिय करने के अनेक प्रयास किये। डा. एनी बैसेण्ट व श्रीमति सरोजनी रायडू को क्रांगेस अध्यक्ष बनाया गया। यह राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक था।

इस प्रकार स्त्रियों राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। मध्यम व उच्च वर्ग की स्त्रियों का नौकरी के प्रति रुझान उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में सहायक हुआ। परिणामतः स्त्रियों में एक प्रबुद्ध वर्ग का उदय हुआ। इससे पूर्व भी रानी लक्ष्मीबाई एवं बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रान्ति में सक्रिय भूमिका निभाई।

अतः सामाजिक और धार्मिक सुधारकों के साथ ही महिलाओं के नवोदित प्रबुद्ध वर्ग ने भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भाग अदा किया। स्त्रियों की पारम्परिक छवि को तोड़कर आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय इन प्रबुद्ध मध्यमवर्गीय महिलाओं को जाता है।

शोध का निष्कर्ष

आधुनिक समाज में स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता एवं सामाजिक उत्थान के मुख्य कारण निम्न रहे—

1. सुधारकों ने स्त्रियों में पुरुषों के बराबर खड़ा होने का विश्वास पैदा किया।
2. समाज सुधारकों ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये।
3. समाज सुधारकों द्वारा किये गये शिक्षा के प्रसार का स्त्रियों पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिक्षित होने और पश्चिमी समाज की स्त्रियों के बेहतर स्थिति का अध्ययन किया और पश्चिम का स्वतंत्रता का इतिहास उनमें काफी लोकप्रिय हो गया।
4. स्त्रियों में बढ़ती शिक्षा ने पुरुषों को उनकी सामाजिक भूमिका के बारे में पुनर्विवाह करने पर बाध्य किया और उन्हें चार दीवारी से निकलने का अवसर मिला।
5. अनेक सामाजिक संस्थाओं ने संगठित होकर स्त्रियों की स्वतंत्रता एवं सामाजिक स्तर में सुधार के लिये कार्य किया। राजपूत राज्यों में इस संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार होने लगा। परिणामतः स्त्रियों के उत्थान के लिये “राजपूत हितकारिणी सभा” की स्थापना हुई।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कोठारी, देव. डा. : स्वतंत्रता आंदोलन में मेवाड का योगदान, 1991 ई.
2. मुखर्जी, राधा कुमुद : प्राचीन भारत, दिल्ली, 1962 ई.
3. मुखर्जी, राधाकमल : भारत की संस्कृति व कला, दिल्ली, 1959 ई.
4. मुद्गल, चेतना : बीकानेर के जन आंदोलन, जयपुर, 1996 ई.
5. मुशी सोहनलाल : तवारीख राजश्री बीकानेर, 1947
- 6- मेहता, पृथ्वीराज : हमारा राजस्थान, जालंधर 1950 ई.